# <u>न्यायालयः—न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, आमला, जिला बैतूल (म०प्र०)</u> (पीठासीन अधिकारी—धन कुमार कुड़ोपा)

<u>दांडिक प्रकरण कमांक0-5/14</u> <u>संस्थापित दिनांक 08/01/14</u> फाईलिंग नम्बर 233504001672014

मध्य प्रदेश शासन द्धारा आरक्षी केन्द, थाना आमला जिला बैतूल (म०प्र०)

\_\_\_\_अभियोजन

#### -: विरूद्ध :-

बबलू उर्फ विनोद पिता इन्दल बेले, उम्र 44 वर्ष, जाति मेहरा, व्यवसाय मजदूरी, नि0 पुरानी बोड़खी, आमला, जिला बैतूल (म0प्र0)

\_\_\_\_अभियुक्त

# <u>—: निर्णय :—</u> (आज दिनांक— 23/09/2016 को घोषित)

- 1— अभियुक्त के विरूद्ध आयुध अधिनियम की धारा 25(1—बी) बी के तहत् अभियोग है कि घटना दिनांक 04.01.14 को 13.30 बजे या लगभग टण्डन केम्प गेट के सामने चौराहा बोड़खी आमला, थाना आमला, जिला बैतूल म0प्र0 अंतर्गत लोक स्थान पर आपने अपने आधिपत्य में बिना वैधानिक अनुज्ञप्ति के एक लोहे की छुरी रखे पाया। जो कि म0प्र0 राज्य की अधिसूचना कं0—6312—6552(2)बी(1) दिनांक 22.11.74 का उल्लंघन किया।
- 2— अभियोजन का मामला संक्षेप मे इस प्रकार है कि सूचनाकर्ता उप निरीक्षक के पद पर पुलिस चौकी बोड़खी थाना आमला में पदस्थ है। हमराह जिरये मुखिबर टेलीफोन द्वारा सूचना मिली कि एक व्यक्ति मोटर साईकिल कं0 एम0पी0 48 एम.एच. 3189 में बैठकर पुरानी बोड़खी तरफ टंडन केम्प गेट बोड़खी तरफ जा रहा है जिसके हाथ में एक लोहे की छुरी है कि सूचना पर हमराह स्टाफ प्र0आर0 473 कोमल, आरक्षक 555 संतोष, आरक्षक 538 जािकर एवं राहगीर चिरोंजी एवं लक्ष्मण के मौके पर पहुँचकर टंडन केम्प गेट के सामने चौराहे पर घेरा बंदी कर मोटर साईकिल कमांक एम0पी0 48 एम.एच. 3189 के चालक को पकड़ा जो उसके पास से एक लोहे की धारदार छुरी रखे था। जिसका नाम पता पूछने पर अपना नाम बबलू उर्फ विनोद पिता इन्दल नि0 बोडखी का होना बताया जिससे छुरी रखने के संबंधी लायसेंस पूछने पर नहीं होना बताया। आरोपी का कृत्य धारा 25 आर्म्स एक्ट का पाये जाने से समक्ष गवाहन चिरोंजी एवं लक्ष्मण के कब्जे से एक लोहे की धारदार छुरी एवं

मोटर साईकिल क्रमांक एम0पी0 48 एम.एच. 3189 जप्त कर कब्जा पुलिस लिया था।

- 3— प्रथम सूचना रिपोर्ट प्र0पी० 4 है लेखबद्ध किया गया। जिसके आधार पर अपराध कमांक 10/14 में 25 आर्म्स एक्ट का अपराध पंजीबद्ध किया गया। दिनांक 04.01.14 को सम्पत्ति जप्ती पत्रक प्रदर्शपी—1 है जिसके ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर है। साक्षियों के कथन उनके बताए अनुसार लेखबद्ध किया है। दिनांक 04.01. 14 को अभियुक्त को गिरफ्तार कर गिरफ्तारी पत्रक प्रदेशपी—2 तैयार किया गया। प्रकरण में अधिसूचना संलग्न की गई। विवेचना पूर्ण करने के उपरांत अभियोग पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया गया।
- 4— अभियुक्त के विरुद्ध धारा 313 दं0प्र0सं0 के अंतर्गत अभियुक्त का अभियुक्त परीक्षण किया गया। अभियुक्त ने अपने अभियुक्त परीक्षण में कहां कि वह निर्दोष है उसे झूठा फंसाया गया है। अभियुक्त कथन के दौरान बचाव पक्ष ने बचाव साक्ष्य न देना व्यक्त किया।

#### 5— :न्यायालय के समक्ष यह विचारणीय प्रश्न यह है कि :--

"क्या घटना दिनांक 04.01.14 को 13.30 बजे या लगभग टण्डन केम्प गेट के सामने चौराहा बोड़खी आमला, थाना आमला, जिला बैतूल म0प्र0 अंतर्गत लोक स्थान पर आपने अपने आधिपत्य में बिना वैधानिक अनुज्ञप्ति के एक लोहे की छुरी रखे पाया?"

### —ः <u>निष्कर्ष एवं उसके आधार</u>ः— <u>विचारणीय प्रश्न क0 1 का निराकरण</u>

- 6— अभियोजन साक्षी पंचमसिंह उईके (अ०सा०३) ने अपनी साक्ष्य में बताया है कि उसने उप०िनरीक्षक टी०आर० धुर्वे के साथ पुलिस थाना आमला में लगभग 6—7 माह काम किया है। वह उनकी हस्तिलिप एवं हस्ताक्षर से परिचित है। वर्तमान में उनकी मृत्यु हो गई है। उनके द्वारा दिनांक 04/01/14 को मुखबिर से सूचना मिलने पर हमराह स्टॉफ आरक्षक कोमल, आरक्षक संतोष, आरक्षक जािकर, एवं राहिगर पंच चिरोंजी एवं लक्ष्मण के साथ मौके पर पहुँचकर टण्डन गेट के सामने चौराह पर ६ रिगबंदी कर मोटर साईकिल कं. एम०पी० 48 एम.एच. 3189 के चालक को पकड़े थे जिसके पास एक लोहे की धारदार छुरी रखा था जिसका नाम पता पूछने पर अपना नाम बबलू उर्फ विनोद निवासी बोडखी का बताया था।
- 7— आगे इस गवाह ने बताया है कि अभियुक्त के कब्जे से प्र0पी0 1 की लोहे की एक धारदार जप्ती कर प्र0पी0 1 बनाया था जिसके सी से सी भाग पर टी0आर0 धुर्वे साहब के हस्ताक्षर है। अभियुक्त को गिरफ्तार कर गिरफ्तारी पंचनामा प्र0पी0 2 बनाया था जिसके सी से सी भाग पर टी0आर0 धुर्वे के हस्ताक्षर है। उसके

पश्चात् चिरोंजी एवं लक्ष्मण के कथन उनके बताये अनुसार लेख किये गये थे। टी0आर0 धुर्वे साहब के आने के बाद थाने में आकर प्र0पी0 4 की रिपोर्ट अभियुक्त के विरूद्ध की गई जिसके ए से ए भाग पर टी0आर0 धुर्वे साहब के हस्ताक्षर है।

- 8— इस गवाह ने प्रतिपरीक्षा की कंडिका 3 में स्वीकार किया है कि प्रकरण में उसके द्वारा कोई कार्यवाही नहीं की गई है। आगे इस गवाह ने यह भी स्वीकार किया है कि जप्त शुदा छुरी टी0आर0 धुर्वे साहब ने कहां से जप्त की थी वह नहीं बता सकता है। आगे इस गवाह ने यह भी स्वीकार किया है कि उक्त घटना के समक्ष साक्षी चिरोंजी तथा लक्ष्मण था या नहीं वह नहीं बता सकता। आगे यह भी स्वीकार किया है कि वह घटना स्थल भी नहीं बता सकता है। आगे इस गवाह ने यह भी स्वीकार किया है कि जप्ती पत्रक प्र0पी0 1 में जप्तशुदा छुरी की नाप किस चीज से की है उसका उल्लेख नहीं है। इस गवाह ने यह भी स्वीकार किया है कि जप्त शुदा छुरी धारदार थी या नहीं, वह नहीं बता सकता है। आगे इस गवाह ने यह भी व्यक्त किया है कि जप्त शुदा छुरी की लंबाई चौड़ाई वह नहीं बता सकता है।
- 9— इस प्रकार इस गवाह के द्वारा प्रतिपरीक्षा में आए तथ्यों से यही स्पष्ट होता है कि इस गवाह के द्वारा घटना के समय या घटना में इस गवाह के द्वारा कोई कार्यवाही नहीं की गई है। साथ ही इस गवाह ने अपनी साक्ष्य में लोहे की छुरी की लंबाई व चौड़ाई नहीं बताया है, क्योंकि सभी छुरीयाँ प्रतिबंधित आकार की नहीं मानी जा सकती। साथ ही जप्ती पत्रक प्र0पी0 1 के स्वतंत्र साक्षी चिरोंजीलाल (अ0सा01) एवं लक्ष्मण (अ0सा02) ने भी सम्पत्ति जप्ती पत्रक का समर्थन नहीं किया है। उक्त दोनों साक्षी स्वतंत्र गवाह है और उक्त दोनों गवाहों की साक्ष्य को अविश्वास किए जाने का कोई कारण नहीं होती। ऐसी परिस्थिति में यह नहीं माना जा सकता कि लोक स्थान पर अभियुक्त के कब्जे से लोहे के छुरी की जप्ती बनाई गई।
- 10— उर्पयुक्त किए गए साक्ष्य एवं विश्लेषण से यह स्पष्ट नहीं है कि अभियुक्त ने लोक स्थान पर आपने अपने आधिपत्य में बिना वैधानिक अनुज्ञप्ति के एक लोहे की छुरी रखे पाया। इस प्रकार विचारणीय प्रश्न कं0 1 का निराकरण "अप्रमाणित" रूप से किया जाता है।
- 11— उपर्युक्त अभियोजन पक्ष के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य से युक्ति—युक्त संदेह से परे यह प्रमाणित नहीं है कि अभियुक्त ने लोक स्थान पर आपने अपने आधिपत्य में बिना वैधानिक अनुज्ञप्ति के एक लोहे की छुरी रखे पाया। इस प्रकार अभियुक्त विनोद उर्फ बबलू को आयुध अधिनियम की धारा 25(1—बी) बी के अपराध के आरोप में दोषमुक्त किया जाता है।
- 12— प्रकरण में धारा 313 दं०प्र०सं० के पूर्व प्रस्तुत जमानत मुचलका भारमुक्त किए गए। आरोपी का धारा 428 द०प्र०सं० का प्रमाण पत्र तैयार किया जावे।

13— प्रकरण में जप्त शुदा हीरोहोंडा मोटर साईकिल एम0पी0 48 एम.एच. 3198 आवेदक / सुपुर्ददार बबलू उर्फ विनोद नि0 पुरानी बोडखी के सुपुर्दगी पर है। अन्य किसी ने दावा नहीं किया है। अतः सुपुर्दनामा आदेश निरस्त किया जावे। प्रकरण में जप्त लोहे की धारदार छुरी मूल्यहीन होने से नष्ट किया जावे। उक्त दोनों सम्पत्ति की अपील होने की दशा में माननीय अपीलीय न्यायालय का आदेश मान्य किया जावेगा।

निर्णय खुले न्यायालय मे हस्ताक्षरित एवं दिनांकित कर घोषित किया गया। मेरे बोलने पर टंकित।

(धनकुमार कुड़ोपा) न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी आमला, जिला बैतूल म0प्र0 (धनकुमार कुड़ोपा) न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, आमला, जिला बैतूल म०प्र०